निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या ए 014 दावा
दायरा दिनांक 11.02.2013
निर्णय दिनांक :—13.09.2021

उनवान

मूलचन्द पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां।

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 13.09.2021

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ओ.पी.मेहरा एडवोकेट — वादी
2 श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके ग्राम मेलखेडी पटवार क्षैत्र मेलखेडी तहसील बारां की आराजी जमाबंदी संख्या सम्वत् 2067—70 जमाबंदी संख्या नई 146 पुरानी 136 की आराजी खसरा नंबर 44 रकबा 0.68 हेक्टेयर, लागानी 10.20 रू. खसरा नंबर 45 रकबा 3.03 हेक्टेयर लगानी 45.45 रूपये, खसरा नंबर 46/1367 रकबा 0.80 हेक्टेयर लगानी 12.00 रू. खसरा नंबर 510 रकबा 0.03 हेक्टेयर लागनी 0.54 रू. खेडाक कुल 4 किता कुल रकबा 4.54 हेक्टेयर कुल लगानी 68.19 रू. स्थित है, जिसे वादपत्र मे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। ग्राम मेलखेडी पटवार क्षैत्र मेलखेडी तहसील बारां की जमाबंदी सम्वत् 2067—70 जमाबंदी संख्या नई 145 पुरानी 135 की आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.91 हेक्टेयर लगानी 13.65 रू. खसरा नंबर 42 रकबा 0.99 हेक्टेयर लगानी 14.85, खसरा नंबर 29 रकबा 0.49 हेक्टेयर लगानी 5.39 रू., खसरा नंबर 415 रकबा 0.19 हेक्टयर लगानी 8.36 रू. खसरा नंबर [illegible] 0.14 हेक्टेयर लगानी 3.52 व 1. 32 रू., खसरा नंबर 463 रकबा 0.05 हेक्टेयर लगानी [illegible] 2.20 रू. खसरा नंबर 485 रकबा 0.09 हेक्टेयर लगानी 3.96 रू., खसरा नंबर 1438/965 [illegible] 0.14 हेक्टेयर लगानी 1.54 रू. कुल किता 9 कुल रकबा 3.10 हेक्टेयर कुल लगानी [illegible] रू. स्थित है, जिसे वादपत्र मे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

ग्राम मेलखेडी पटवार हल्का मेलखेडी तहसील बारां की जमाबंदी सम्वत् 2067–70 से जमाबंदी संख्या नई 245 पुरानी 226 की आराजी खसरा नंबर 69 रकबा 1.13 हेक्टेयर लगानी 12.43 रू. खसरा नंबर 425 रकबा 0.23 हेक्टेयर लगानी 10.12 रू. खसरा नंबर 948 रकबा 0.07 लगानी 0.56 रू., खसरा नंबर 949 रकबा 0.03 हेक्टेयर, लगानी 0.24 रू., खसरा नंबर 963 रकबा 0.15 हेक्टेयर लगानी 1.20 रू. कुल 5 किता कुल रकबा 1.61 हेक्टयर कुल लगानी 24.55 रू. स्थित है, जिसे आगे विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वाद पत्र की मद् नंबर 1, 2, 3 मे वर्णित आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की है, जो मूल खातेदार गिरधारीलाल जी से विरासत मे प्राप्त हुई, आराजी एवं उक्त आराजीयात से बनाई गई आराजीयात है, वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के परिवार का पारिवारिक है।

वादपत्र की मद् नंबर 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 44 रकबा 0.68 हेक्टेयर के पूर्व खसरा नंबर 28/1106 मि. खसरा नंबर 45 रकबा 3.03 हेक्टयर के पूर्व खसरा नंबर 28/1106 मियाद एवं 23 मि. खसरा नंबर 46/1367 रकबा 0.80 हेक्टयर के पूर्व खसरा नंबर 88/1106 एवं 23 मि. से बना है। इसी प्रकार खसरा नंबर 510 रकबा 0.03 हेक्टयर पूर्व खसरा नंबर 377 से कायम किया गया है। वादपत्र की मद् नंबर 2 मे वर्णित आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.91 हेक्टेयर, पूर्व खसरा नंबर 26 मि. से बना है, खसरा नंबर 42 रकबा 0.99 हेक्टेयर पूर्व खसरा नंबर 26 मि. से बना है, खसरा नंबर 79 रकबा 0.49 पूर्व खसरा नंबर 37 मि. से बना है। खसरा नंबर 415 रकबा 0.19 हेक्टयर पूर्व खसरा नंबर 296 मि. से बना है। खसरा नंबर 424 रकबा 0.14 हेक्टयर के पूर्व खसरा नंबर 303 मि. से बना है। खसरा नंबर 463 रकबा 0.05 पूर्व खसरा नंबर 335 से बना है। खसरा नंबर 485 रकबा 0.09 हेक्टयर पूर्व खसरा नंबर 354 से बना है। खसरा नंबर 1438/949 रकबा 0.10 हेक्टयर पूर्व खसरा नंबर 147 मि. से बना है। खसरा नंबर 1439/63 रकबा 0.14 हेक्टयर पूर्व खसरा नंबर 757 मि. से बना है।

वादपत्र की मद् नंबर 3 मे वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 69 रकबा 1.13 हेक्टेयर पूर्व खसरा नंबर 31 से बना है। खसरा नंबर 4235 रकबा 0.23 हेक्टेयर पूर्व खसरा नंबर 304 मि. से बना है। खसरा नंबर 948 रकबा 0.07 हेक्टेयर पूर्व खसरा नंबर 747 मि. से बना है। खसरा नंबर 949 रकबा 0.03 हेक्टेयर पूर्व खसरा नंबर 747 मि.से बना है। खसरा नंबर 963 रकबा 0.15 हेक्टयर, पूर्व खसरा नंबर 757 मि. से बना है।उक्त वर्णित आराजीयात वादी के पिता व प्रतिवादी क्रम 1 के दादाजी को उनके पिता गिरधारी लाल जी से विरासत मे प्राप्त हुई थी। भैरूलाल जी के देहान्त के प चात् उक्त आराजी उनके दोनो पुत्रो प्रभूलाल व वादी मूलचंद को बराबर–बराबर प्राप्त हुई। प्रभूलाल का देहान्त होने के बाद उनके एक मात्र प्रतिवादी क्रम 1 नन्दकि ोर को प्राप्त हुई, जो वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड में 1/2, 1/2 वादी व प्रतिवादी के नाम इन्द्राज है। उक्त वर्णित आराजीयात तथा वाद पत्र की चरण क्रम 3 मे वर्णित आराजी भैरूलाल जी द्वारा उन्हे विरासत मे प्राप्त हुई। आराजीयात की कमाई से उक्त आराजीयात बनाई गई थी किन्तु प्रभूलाल बड़े पुत्र होने के कारण चरण क्रम 2 में वर्णित आराजी भैरूलाल द्वारा सीधे प्रभूलाल के नाम दर्ज करवायी गई, तथा छोटा पुत्र होने के कारण वादपत्र की चरण क्रम 1 मे वर्णित आराजी वादी के नाम दर्ज करवाई गई, किन्तु वादपत्र की चरण क्रम 2 व 3 मे वर्णित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की जायदाद से बनाई गई आराजीयात है, इसलिए वादपत्र की मद् नंबर 1, 2, 3 में वर्णित आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण उक्त आराजीयात मे भैरूलाल जी के दोनो पुत्रो प्रभूलाल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

वादी मूलचंद का समान रूप से आधा–आधा हिस्सा निहित है, तथा प्रभूलाल का देहान्त होने के कारण उसके एक मात्र पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी के पिता प्रभूलाल के मध्य भैरू लाल जी द्वारा अपने जीवनकाल मे ही बाहमी बटवारा कर दिया था, तबसे ही दोनो अपने हिस्से के अनुसार आधी–आधी आराजीयात पर काबिज का त चले आ रहे है, जिसमे से वादी के पास वादपत्र की मद् नंबर 3 मे वर्णित सम्पूर्ण आराजी तथा खसरा नंबर 45 की 30.03 हेक्टयर आराजी तथा प्रतिवादी क्रम 1 के पास वादपत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी तथा चरण क्रम 1 की खसरा नंबर 44 रकबा 0.68 हेक्टयर, खसरा नंबर 46/1367 रकबा 0.80 व खसरा नंबर 510 रकबा 0.03 हेक्टयर हिस्से मे प्राप्त हुई है, उसी के अनुसार भैरूलाल जी के जीवनकाल से का त करते चले आ रहे है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा अनुसार इन्द्राज नही होने के कारण वादी भैरूलाल जी के जीवनकाल मे उनके द्वारा इनके दोनो पुत्रो वादी व प्रभूलाल के मध्य किये गये बटवारे के अनुसार वादी विभाजन कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से कब्जे के अनुसार बराबर–बराबर जमीन का राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराने के लिये बार–बार कहने व उसके द्वारा टालमटूल करने पर वादी द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 22.11.2012 को कहने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा स्पश्ट रूप से इंकार करने पर वादी द्वारा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे तहसीलदार बारां जो वादपत्र में प्रतिवादी क्रम 2 है, से निवेदन करने व तहसीलदार बारां द्वारा स्पश्ट रूप से 10.01.2013 को इंकार करने व सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ, तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी.पी.सी.का नोटिस दिये जाने पर दिनांक 24.01.2013 को बमुकाम बारां मे उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 146 नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 145 नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 245, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57 ग्राम मेलखेडी पेश किया गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 गजानन्द, पी.डब्ल्यू 2 श्रवणलाल, पी.डब्ल्यू 3 बाबूलाल के बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 146, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मेलखेडी पेश किया। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू 1 नन्दकिशोर के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नंबर 1 :– आया कि ग्राम मेलखेडी की आराजी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 146 के कुल खसरा नंबर 4 किता रकबा 4.54 हेक्टयर, खाता संख्या 145 के कुल खसरा नंबर 9 किता रकबा 3.10 हेक्टयर, खाता संख्या 245 के कुल खसरा नंबर किता रकबा 1.61 हेक्टयर जो संयुक्त हिन्दू परिवार की विरासत मे गिरधारी लाल से प्राप्त होकर बनाई गई आराजीयात **वादी** है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

तनकी नंबर 2 :– आया कि विवादित आराजीयात में भैरूलाल जी द्वारा अपने जीवन काल में दोनो पुत्रों मूलचन्द व प्रभूलाल के मध्य बटवारा कर दिया, जिसके अनुसार काबिज काश्त है, एवं उसी अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोशणा कर खाता पृथक–पृथक कराने के अधिकारी है।

वादी

तनकी नंबर 3 :– आया कि ग्राम मेलखेडी की आराजी वाद पत्र की मद् नंबर 3 की एवं खसरा नंबर 45 रकबा 3.03 हेक्टेयर बाहमी बटवारे मे वादी को प्राप्त हुआ है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 नन्दकिशोर को वाद पत्र की मद् नंबर 2 की एवं मद् नंबर 1 की खसरा नंबर 44 रकबा 0.68 हेक्टेयर, खसरा नंबर 46/1367 रकबा 0.80 हेक्टयर, खसरा नंबर 510 रकबा 0.03 हेक्टयर, प्राप्त हुई है। उसी अनुसार कब्जा का त चला आ रहा है। उसी अनुसार खातेदारी की घोशणा कराने के अधिकारी है। **वादी**

तनकी नंबर 4 :– आया कि वाद पत्र की मद् नंबर 1 की आराजी वादी मूलचन्द व प्रतिवादी क्रम 1 नन्दकिशोर की स्वअर्जित सम्पत्ति है। **प्रतिवादी**

तनकी नंबर 5 :– आया कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 की आराजीयात पैत्रिक है, जिसका आपसी सहमति से दिनांक 01.09.1998 को बटवारा हुआ है, जिस पर इन्तकाल नंबर 283 खोला गया है, जिसे वादी पाबन्द है। **प्रतिवादी**

तनकी नंबर 6 :– अनुतोष

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। विवादित आराजीयात वाके ग्राम मेलखेडी में स्थित है, जो मूल खातेदार गिरधारीलाल जी से विरासत से प्राप्त हुई है। वाद पत्र की मद् नंबर 1 मे वर्णित आराजी वादी के पिता व प्रतिवादी क्रम 1 के दादा को उनके पिता गिरधारीलाल जी से विरासत मे प्राप्त हुई थी। भैरूलाल जी की मृत्यु के प चात् उनके दोनो पुत्र प्रभूलाल व वादी मूलचन्द को बराबर–बराबर प्राप्त हुई। प्रभूलाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नन्दकिशोर को प्राप्त हुई, जो वर्तमान में 1/2, 1/2 वादी व प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र मद् नंबर 2 व 3 मे वर्णित आराजी भैरूलाल जी द्वारा उन्हे विरासत मे प्राप्त हुई, प्राप्त हुई आराजीयात से उक्त आराजीयात बनाई गई थी। प्रभूलाल बडे पुत्र होने के कारण चरण नंबर 2 मे वर्णित आराजीयात भैरूलाल जी द्वारा प्रभूलाल के खाते मे दर्ज करवा दी गई, तथा छोटा पुत्र होने के कारण वाद पत्र की मद् नंबर 3 में वर्णित आराजी वादी के नाम दर्ज करवाई गई, किन्तु वाद पत्र की मद् नंबर 2 व 3 मे वर्णित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की जायदाद से बनाई गई। इसलिए वाद पत्र की मद् नंबर 1, 2, 3 मे वर्णित आराजी हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण भैरूलाल जी ने दोनो पुत्र प्रभूलाल व वादी मूलचन्द का समान रूप से आधा–आधा हिस्सा [illegible] हिस्से के अनुसार आधी–आधी भूमि पर काबिज का त चले आ रहे है। राजस्व रि[illegible] बाहमी बटवारा अनुसार इन्द्राज नही होने के कारण दोनो पुत्रो के मध्य कि[illegible] विभाजन कराकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना चाहता है। मेरे द्वारा वाद पत्र [illegible] का जिक्र किया गया है, भूमि का विवरण किया गया है, जो मेलखेडी मे तीन खाते है, तीनो [illegible]/2, 1/2 हिस्सा है। मौके पर बटवारा

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01.11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया हुआ है। रिकार्ड में कम ज्यादा हो रही है। मेरे खाते में 1/65 हेक्टयर भूमि है, तथा प्रतिवादी के खाते मे 3.10 हेक्टयर भूमि है। मुताबिक कब्जे अनुसार एवं बाहमी बटवारे अनुसार विवादित आराजीयात का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। इसमे दो तरह की भूमि है, ज्यादा भूमि मिली है, वो आपसी सहमति से दी गई है। कमजोर भूमि होने के कारण ज्यादा दी गई है। स्वर्जित आय से दोनो भाईयों ने आधी–आधी भूमि खरीद की है। इसमे से बटवारा भी समान रूप से किया गया है। नन्दकिशोर अकेला भाई / लड़का था। पैत्रिक सम्पत्ति मे समान बटवारा होना चाहिये। पूर्व की भूमि से इसका कोई सम्बन्ध नही है। पूर्व में सहमति से बटवारा हुआ है। उसमे तो किसी को कोई आपत्ति नही होनी चाहिये। इनका दावा समान मात्रा मे भूमि बटवारे का है। मेरा काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे। दोनो भाईयो ने मिलकर भूमि खरीद की है। वाद पत्र की मद् नंबर 1 मे वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 स्वआर्जित आराजी है। वाद पत्र की मद् नंबर 2 व 3 मे वर्णित आराजी पैत्रिक आराजी है, जिसका आपसी सहमति से विधिवत विभाजन हो गया। वाद पत्र की मद् नंबर 1 मे वादी एवं प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 सड़क की ओर से अपने 1/2 हिस्सा का विधिवत विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज कराना चाहता है। वादी का वाद खारिज किया जावे, तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात का निर्णय किया जाता है :–

तनकी नंबर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 146 के अनुसार वादी एवं वादी के पिता भैरूलाल एवं प्रतिवादी क्रम 1 के 1/2, 1/2 खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 145 के अनुसार प्रतिवादी नन्दकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 245 मे मूलचन्द पुत्र भैरूलाल जाति मीणा का नाम दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि खाता संख्या 146 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है, तथा खाता संख्या 145 व 245 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के अलग–अलग खातेदारी में दर्ज है। वादी मात्र खाता संख्या 146 की भूमि का बटवारा कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे आशिक स्वीकार की जाती है।

तनकी नंबर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी खाता संख्या 145, 245 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के अलग–अलग खातेदारी में दर्ज होने के कारण उक्त दोनो खातो [illegible] किया जाना सम्भव नही है, और न ही वादी को खातेदारी अधिकारो [illegible] नही है, क्योकि दोनो खाते वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के भामलाती [illegible] होने के कारण बटवारा नही किया जा सकता। खाता संख्या 146 वादी एवं प्रतिवादी के शाम[illegible] खातेदारी मे दर्ज होने से वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी क्रम 1 के 1/2, 1/2 पृथक–पृथक विभाजन किया जा सकता है, परन्तु दो शेष खातो मे वादी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते । अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। वादी द्वारा विवादित आराजी से सम्बन्धित ऐसा कोई दस्तावेज एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये, जिससे यह साबित होता है, कि वादी को किस खसरा नंबर की भूमि प्राप्त हुई, तथा प्रतिवादी क्रम 1 को किन–किन खसरा नंबरो की भूमि बाहमी बटवारे मे प्राप्त हुई है। वादी द्वारा कब्जे बाबत् भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिससे वादी का कब्जा साबित हो सके, जिस प्रकार वादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के बाहमी बटवारे अनुसार खसरा नबरो का अंकन किया है। उसी अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। परन्तु वादी कब्जा साबित करने मे एवं बाहमी बटवारा साबित करने मे विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 146 के अनुसार नन्दकिशोर पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/2 मूलचन्द पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/2, दर्ज है। इससे यह साबित होता है, कि वादी के पिता भैरूलाल एवं प्रतिवादी क्रम 1 नन्दकिशोर के द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी के खाता संख्या 145 व खाता संख्या 245 आराजी पैत्रिक आराजी होना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मे बताया है, जिसका वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 01.09.1998 को बटवारा हुआ था, जिसका इन्तकाल नंबर 283 खोला जाकर तस्दीक किया जाना प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में बताया है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य 1998 मे बटवारा हो चुका है, तो वादी खाता संख्या 146 की भूमि का शामलाती होने से बटवारा कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निस्तारण से यह तथ्य सामने आते है, कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खाता संख्या 145 व खाता संख्या 245 की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हो चुका है, तथा खाता संख्या 146 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के भामलाती खातेदारी मे दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादी 1/2, 1/2 हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक बटवारा करवाकर खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त तनकीयात प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष मे निर्णित की गई है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मेलखेडी तहसील बारां के खसरा नंबर 44 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 3.03 हेक्टयर, खसरा नंबर 44/1367 रकबा 0.80 हेक्टयर, खसरा नंबर 510 रकबा 0.03 हेक्टयर कुल किता 4 रकबा 4.54 हेक्टयर में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है। वादीगण को जर्ये स्थायी निशेधाज्ञा पावन्द किया जाता है, कि प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे का त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...यालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

...संख्या 14/2013	धारा अन्तर्गत 88,89,188,53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 13.09.2021
...मक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः— ओमप्रकाश मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादीः—श्री हरिओम चतुर्वेदी	

वाद शीर्षक

उनवान

मूलचन्द पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां।

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मेलखेडी तहसील बारां के खसरा नंबर 44 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नंबर 45 रकबा 3.03 हेक्टयर, खसरा नंबर 44/1367 रकबा 0.80 हेक्टयर, खसरा नंबर 510 रकबा 0.03 हेक्टयर कुल किता 4 रकबा 4.54 हेक्टयर में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 पृथक—पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है। वादीगण को जर्ये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, कि प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे कास्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 13.09.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला—बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.स.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

14/2013	धारा अंतर्गत 88, 89, 188, 53	निर्णय दिनांक 12/03/2022
श्री हिमांशु शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

मूलचन्द पुत्र श्री कैरूलाल जाति मीणा निवासी मेलखेड़ी तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी मेलखेड़ी तहसील व जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम मेलखेड़ी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम, खातेदार	ख० नं.	रकबा	लगान
1. नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा सा. इट रहन SBI शाखा, बारां	46/1367	0.80	12.00
	44	0.68	10.20
	510	0.03	0.54
	45	0.76	11.40 पुख्ता
	कुल पुख्ता	2.27	34.14
2. गजानन्द पुत्र मूलचन्द जाति मीणा सा. इट रहन HDFC बैंक लि० शाखा बारां	45	2.27	34.05 जर
	किता 1	रकबा 2.27	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12/03/2022 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:11 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बारां

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं ... मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

व्यय सूची

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	[illegible]		

Scanned with CamScanner